वाद सं० 11 सन् 2018 गुरमेजसिंह आदि / भूपेन्द्रसिंह आदि

दावा

1/2/18 वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 05/3/18 को पेश हो।

05/3/18 वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 29/12/17 को विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act प्रस्तुत कर चक नं० 16 L.L.W A के खाता संख्या 212 की 2.769 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 0.923 है० व खाता संख्या 3/3 की 3.036 है० भूमि व खाता सं० 4/4 की 1.518 है० मे प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1.012 है० कुल 4.971 है० भूमि के वादीगण क० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है। वाद ग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं० 1 को विरासतन प्राप्त हुई है। प्र० नं० 2, 3 वादीगण की बहिनें है जिन्होंने अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से छोड़ दिया है। प्रतिवादी सं० 1 को चक नं० 15 M.M.K की भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण को वाद ग्रस्त भूमि बाबत घोषणा फरमाई जावे। वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री गुलाब सिंह बराड़ अधिवक्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित आए। दिनांक 10/1/18 को वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किए जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने उपरान्त वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा काबिल अन्तिम डिक्री है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 10/1/18 अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नं० 16 एल एल डब्ल्यू ए के खाता संख्या 2/2 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 प० नं० 105/224(12) कि० नं० 1/.164, 2/.164, [3/.164] 8 ता 13, 18 व प० नं० 104/224(13) कि० नं० 6, 15 कुल 2.769 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज .923 है० व खाता संख्या 3/3 के प० नं० 104/225(16) कि० नं० 16, प० नं० 105/225(17) कि० नं० 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 21 22 कुल 3.036 है० भूमि व खाता संख्या 4/4 के प० नं० 105/226(26) कि० नं० 18 ता 23 कुल 1.518 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1.012 है० कुल 4.971 हैक्टेयर भूमि के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम ब०हि०ब० दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण नं० 2 व 3 का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। चक नं० 15 एम. एम. के की 3.289 है० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 [signature] [stamp, faint:] ... कलक्टर ... उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	आदेश की प्रति 15/1/18 को जारी की।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना-2 वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05/3/18 को बसर इजलास सुनाया गया। [illegible] सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
19/4/18	प्रार्थना 136 LRC के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] 3/164 [illegible] 3/164 [illegible] 3/164 [illegible] 10/18 [illegible] 3/164 [illegible] 1/164, 2/164 [illegible] 3/164 [illegible] [illegible]

पर्चा डिकी

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवानः–

1. गुरभेज सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 3 जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ
2. तरसेम सिंह पुत्र श्री भुपेन्द्रसिंह उम्र 31 वर्ष जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 3 जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ़

–वादीगण–

बनाम

1. भूपेन्द्र सिहं पुत्र श्री अतर सिहं, जाति जटसिख, निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. मनजिन्द्र कौर पुत्री भूपेन्द्र सिहं, जाति जटसिख, निवासी वार्ड नम्बर–3 जोड़कियां, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. तसवीरपाल कौर पुत्री भूपेन्द्र सिहं पत्नि सुखवीर सिहं, जाति जटसिख, निवासी करिवाला, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा

वाद सख्याः–11 सन 2018

वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए

आज यह वाद मुझे सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री राजेशदीपराय एडवोकेट एव प्रतिवादीगण श्री गुलाव सिहं बराड़ की ओर से उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 10–01–2018 अंतिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या–2/2 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 पत्थर नम्बर–105/224 (12) के किला नम्बर–1/0.164, 2/0.164, 8 ता 13, 18, पत्थर नम्बर–104/224 (13) के किला नम्बर–6, 15 कुल 2.769 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज 0.923 हैक्टेयर व खाता संख्या–3/3 के पत्थर नम्बर–104/225 (16) के किला नम्बर–16, पत्थर नम्बर–105/225 (17) के किला नम्बर–7 ता 9, 12 ता 14,17 ता 19, 21, 22 कुल 3.036 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या–4/4 के पत्थर नम्बर–105/226 (26) के किला नम्बर–18 ता 23 कुल 1.518 हेक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सख्या–1 केनाम दर्ज 1.012 हैक्टैय कुल 4.971 हैक्टेयर भूमि के वादीगण ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजन कर वादीगण केनाम ब0हि0ब0 दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या–2व 3 का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। चक नम्बर–15 एमएमके की 3.289 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

.............................लीज.............................मुबलिग.............................

बातत.............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.............................

से तारीख वसुलयाबी.............................

वसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 05–03–2018 से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner